

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन (म.प्र.)
// घोष विक्रय अनुपयोगी वाहन //

क्रमांक / १९७ / तीन-३-१ / ९४

रायसेन, दिनांक 7 / 10 / 2016

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुपयोगी घोषित वाहन "जहाँ है जैसी है" कि स्थिति के आधार पर घोष विक्रय के लिए कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन में दिनांक 5 / 11 / 2016 को 3.00 बजे से दिन में नीलामी की जावेगी। बोली बोलने के इच्छुक व्यक्तियों को अमानती राशि राष्ट्रीय बैंक की एफ.डी.आर. के रूप में नीलामी के एक दिन पूर्व तक दिनांक 4 / 11 / 2016 को कार्यालयीन समय में 5.00 बजे तक जमा करना आवश्यक है। नीलामी से संबंधित विस्तृत जानकारी नियत शर्तें किसी भी कार्यालयीन समय में नीलामी के एक दिन पूर्व देखी जा सकती है। इस प्रकार नीलाम होने वाले वाहन का निरीक्षण भी एक दिन पूर्व तक न्यायालय परिसर में कर सकते हैं।

सरल क्रमांक	वाहन का नाम एवं क्रमांक	शासकीय बोली	अमानत राशि	वाहन निरीक्षण स्थली
1	एम्बेसेडर कार क्रमांक MP02-6598	13,000/-	1,300/-	कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन
		₹ Thirteen Thousand Only.	₹ One Thousand Three Hundred Only.	
2.	मारुति वेन क्रमांक MP02-2020	20,000/-	2,000/-	कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन
		₹ Twenty Thousand Only.	₹ Two Thousand Only.	

सही / -

(विमल प्रकाश शुक्ला)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायसेन (म.प्र.)

पृ० क्रमांक / ५२२ / तीन-३-१ / ९४

रायसेन, दिनांक 7 / 10 / 2016

यथानिर्देश प्रतिलिपि:-

- ✓ १. श्रीमान रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर (म.प्र.)
२. श्रीमान जिला कलेक्टर, रायसेन (म.प्र.)
३. जिला परिवाहन अधिकारी, रायसेन (म.प्र.)
४. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलेक्टर, रायसेन (म.प्र.)
५. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, रायसेन (म.प्र.)
६. नोटिस बोर्ड, तहसील कार्यालय, रायसेन (म.प्र.)
७. श्रीमान प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुविभाग, जिला न्यायालय रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
८. न्यायालय अधीक्षक / न्यायालय उपाधीक्षक / लेखापाल / सहायक लेखापाल, कार्यालय जिला जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहारीपुर (म.प्र.)

वास्ते-- जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायसेन (म.प्र.)

21 OCT 2016

98644

98644

:: नीलामी विड ::

शासकीय अनुपयोगी घोषित वाहन की नीलामी दिनांक 5/11/2016

(खुली निविदा लम्बांक 1, दिनांक 5/11/2016)

नीलाम होने वाले वाहन	ऑफसेट मूल्य	अमानत राशि	मॉडल वर्ष	नीलामी करने वाले अधिकारी का नाम एवं पद
एम्बेसेडर कार क्रमांक MP02-6598	13,000/- ₹ Thirteen Thousand Only.	1,300/- ₹ One Thousand Three Hundred Only.	2002-03	जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन (म.प्र.)
मारुति वेन क्रमांक MP02-2020	20,000/- ₹ Twenty Thousand Only.	2,000/- ₹ Two Thousand Only.	1994	जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन (म.प्र.)

:: नीलामी ठीक शर्त ::

- नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति से दिनांक 4/11/2016 तक राशि कमशः रु. 1300/- रु 2000/- की एफ.डी.आर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन के नाम से नजारत अनुबिभाग रायसेन में जमा करनी होगी, उन्हे ही खुली निविदा में सम्मिलित किये जाने की अनुमति दी जावेगी।
- नीलाम किए जाने वाले वाहन जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय के प्रांगण में रखे हुए हैं जिन्हे नीलामी में भाग लेने वाला व्यक्ति कार्यालयीन समय में जिला नाजिर की उपस्थिति में वाहनों का अवलोकन कर सकता है।
- नीलामी में अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को ही वाहन दिया जायेगा।
- वाहन के काटने लोडिंग/अनलोडिंग/ट्रॉसंपोर्ट आदि खुली निविदाकर्ता के खर्च पर किया जावेगा। मशीनों की काटा पीटी कर्मशाला में नहीं की जावेगी। वाहन निर्धारित समयावधि में अपने व्यय से उठाना होगा।
- उक्त वाहन की नीलामी प्रक्रिया को स्वीकृति एवं अस्वीकृति करने का पूर्ण अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन को होगा। नीलामी निरस्त करने के संबंध में आवेदक को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।
- नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत स्वीकृत बोलीकर्ता के अतिरिक्त प्रथम, द्वितीय बोलीकर्ता को छोड़कर, शेष सभी बोलीकर्ता को एफ.डी.आर. वापिस कर दी जावेगी।
- अधिकतम बोली की निविदा स्वीकृत किए जाने पर संबंधित को राशि दो दिवस में नगद रूप में जिला नाजिर के पास जमा करानी होगी, यदि उक्त राशि समयावधि में जमा नहीं कराई जाती तो जमानत राशि जब्त की जावेगी और उससे नीचे वाले व्यक्ति की निविदा स्वीकृत करने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन को होगा।

(विमल प्रकाश शुक्ला)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायसेन (म.प्र.)